

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -


रु. पाखीड़ी

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 291

दापर दिनांक ११/०१/२५ निर्णय दिनांक ०९/१०/२५

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.स.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रु. पाखीड़ी</u>	<u>29</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक <u>2025-26/113</u> दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी
			बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	तहसालीदर कपासन की अनुसूची स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खमाखीड़ी</u> प.ह. <u>खमाखीड़ी</u> खातासं. <u>29</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर मिरकावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			<u>११/०१/२५</u>	<u>११/०१/२५</u>	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- 1. पटवारी पटवार पटवार: मण्डल राजस्थान

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गढ़

तहसीलदार कपासन (अ.) तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़